

सं0सं09 / क्रय0आ0-04-08 / 2003

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
शुद्धि पत्र

विभागीय संकल्प सं0 1144(9) दिनांक 31.10.16 द्वारा डा0 महेश प्रसाद, तत्कालीन सिविल सर्जन, औरंगाबाद, संप्रति क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर के विरुद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड अधिरोपित किया गया है। डा0 महेश प्रसाद की अनिवार्य सेवानिवृत्ति संकल्प निर्गत की तिथि (दिनांक 31.10.2016) से प्रभावी होगी।

संकल्प सं0 1144(9) दिनांक 31.10.16 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-

सरकार के अवर सचिव

- ज्ञापक: /स्वा0, पटना, दिनांक: 31.10.16
- प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार पटना/अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी मुंगेर/औरंगाबाद/क्षेत्रीय अपर-निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, मुंगेर प्रमंडल मुंगेर/मगध प्रमंडल गया/सिविल सर्जन मुंगेर/औरंगाबाद संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- डा0 महेश प्रसाद, तत्कालीन सिविल सर्जन, औरंगाबाद संप्रति क्षेत्रीय अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं मुंगेर प्रमंडल मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव मंत्रिमंडल सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव बिहार लोक सेवा आयोग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 2,3,5,7,8,10,11,12,17 एवं 18A को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

31-10-16
सरकार के अवर सचिव